

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला

जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 677/14

संस्थापन दिनांक :- 29/09/14

फाईलिंग नं. 233504002392014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

राजेश पिता झुम्मकलाल गोंड
उम्र 32 वर्ष, निवासी रमली,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.09.2014 को समय 8:00 बजे या उसके लगभग गीतांजली होटल के पास जम्बाड़ा रोड आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 15½ इंच चौड़ाई 3½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09.2014 को प्रधान आरक्षक गोविन्दराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गीतांजली होटल के पास जम्बाड़ा रोड पर एक व्यक्ति लोहे की छुरी अपने पास रखा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखा जो उन्हें देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी की मदद से पकड़ा जिसकी तलाशी लेने पर कमर में बाँये तरफ एक लोहे की छुरी मिली तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश पिता झुम्मकलाल उड़के बताया। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 761/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्र-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने उसने दिनांक 20.09.2014 को समय 8:00 बजे या उसके लगभग गीतांजली होटल के पास जम्बाड़ा रोड आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 15½ इंच चौड़ाई 3½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.09.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वारंटी तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ गीतांजली होटर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसके पास एक लोहे की छुरी मिली तथा पूछताछ करने पर कोई लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 761/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 के छुरी को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 शेख अलीम (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने स्वीकार

किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं। प्रकरण के एक अन्य स्वतंत्र साक्षी लूगरिया की साक्ष्य हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी उक्त साक्षी को साक्ष्य हेतु उपस्थित कराये जाने में असमर्थ रहने के कारण अभियोजन का उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर समाप्त किया गया है।

7 प्रकरण में परिक्षीत कराये गये स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 गोविंद कोलेकर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर गीतांजली होटल हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ पहुंचना एवं अभियुक्त को पकड़कर उससे लोहे की छुरी जप्त करना एवं गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक पर सीलबंद होने का कोई उल्लेख उसने नहीं किया है। इसके अलावा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे साक्षी के द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध जप्त करने के बाद उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 08:30 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी का समय 08:35 बजे लेख है, मात्र पांच मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी के समय पर ओह्वर राईटिंग भी की गयी है। विवेचक साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा कथित आयुध की मौके पर नापजोप की गयी हो एवं आयुध धारदार हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि

अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2014 को समय 8:30 बजे या उसके लगभग गीतांजली होटल के पास जम्बाड़ रोड, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 15½ इंच चौड़ाई 3½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)